भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1133** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **22 जुलाई**, 2022/31 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया जाना है

बकिंघम नहर

†1133. श्री टी. आर. बालू :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह ध्यान दिया है कि बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के बाद से कोई विकास कार्य नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय जलमार्ग बकिंघम नहर को यांत्रिक ऊर्जा से चलने वाले बड़े अंतर्देशीय जहाजों के लिए माल परिवहन हेतु नौगम्य बनाने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क से ग): बकिंघम कैनाल, जिसमें 316 कि.मी. लंबी उत्तरी बकिंघम कैनाल (पेडागंजम से सेंट्रल स्टेशन चेन्नई) और 110 कि.मी. लंबी दक्षिणी बकिंघम कैनाल (सेंट्रल स्टेशन चेन्नई से मारकानम) शामिल है, राष्ट्रीय जलमार्ग-4 का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2008 में घोषित किया गया था। घोषणा के उपरांत, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मार्च, 2010 में पूरी की गई थी और इसका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के निष्कर्षों के अनुसार, बकिंघम कैनाल में कम ऊंचाई वाले बहुत से पुल, निष्क्रिय ढांचे हैं और इसमें अतिक्रमण हुआ है। अत:, इसे विकास के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

उपरोक्त को देखते हुए, तथा बकिंघम कैनाल के समानांतर सड़क और रेल नेटवर्क, जो कि पूर्वी तट के करीब है, के विकास के दृष्टिगत वर्तमान में बकिंघम कैनाल का विकास करने की कोई योजना नहीं है।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के भाग के रूप में बकिंघम कैनाल की स्थिति

पूरे रा.ज.-4 की गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ काकीनाडा-पुदुच्चेरी कैनाल में नौचालन के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मार्च, 2010 में पूरी की गई थी। डीपीआर के अनुसार, बकिंघम कैनाल में दो जलखंड शामिल हैं:-

1. उत्तरी बकिंघम कैनाल (पेडागंजम से सेंट्रल स्टेशन चेन्नई) - 316 कि.मी.; और
2. दक्षिणी बकिंघम कैनाल (सेंट्रल स्टेशन चेन्नई से मारकानम) - 110 कि.मी.

बकिंघम कैनाल के उपरोक्त दोनों जलखंड, ज्वारीय कैनाल हैं और गैर-मानसून अवधियों के दौरान सूखे रहते हैं। चेन्नई शहर में उत्तरी और दक्षिणी बकिंघम कैनालों को जोड़ने वाला 50 कि.मी. का जलखंड पूरी तरह से परित्यक्त अवस्था में है और तमिलनाडु सरकार ने मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमआरटीएस) को कैनाल के ठीक ऊपर ही एलीवेटेड रेलवे स्टेशनों का निर्माण करने की अनुमति दी है। एमआरटीएस फ्लाईओवर ब्रिज के खंभे कैनाल के तल में ही हैं और कुछ स्थानों पर खंभों के आधार की नींव कैनाल तल से ऊपर उठी हुई है। अत:, चेन्नई जलखंड में नौचालन संभव नहीं है तथा डीपीआर में इस जलखंड में आईडब्ल्यूटी विकास शुरू न करने की अनुशंसा की गई है। बकिंघम कैनाल के बाकी जलखंडों में कुल 52 पुल हैं, जिनमें से 28 पुलों के ढांचे को डिजाइन आकार के अंतर्देशीय जलयानों के गुजरने के लिए अपेक्षित ऊंचाई तथा चौड़ाई प्रदान करने हेतु संशोधित अथवा पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। कैनाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि कैनाल में बहुत से स्थानों पर गाद भर गई है और कुछ भागों के दोनों किनारों के तटबंध भी समतल हो गए हैं। इसके साथ ही, वहां पर निष्क्रिय लॉक ढांचे मौजूद हैं तथा कैनाल के बहुत से हिस्सों में अतिक्रमण हो चुका है।

*****